प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत।

सेवा में,

महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः 1371 /XV–2020 दिनांकः पीलीभीत : जुलाई 20, 2020

विषयः श्री कुलदीप अवस्थी, एडवोकेट, संयुक्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण दिनांक 21.07.2020 को न्यायालय बन्द किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03.06.2020 एवं 1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 16.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उपरोक्त के अनुपालन में जिला न्यायालय, पीलीभीत में श्री कुलदीप अवस्थी, एडवोकेट, संयुक्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण बार एसोसियेशनस द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रस्ताव दिनांक 20.07.2020 पर मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत से आख्या आहूत की गयी।

2. त्रिस्तरीय समिति/मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 20.07.2020 के अनुसार श्री कुलदीप अवस्थी (वकील) बार एसोसियेशन परिसर में न्यायिक कार्यो से सम्बन्धित कार्य करते हैं। शासनादेश सं0 1382/2020 सी. एक्स–3 दिनाक 31 मई 2020 के अनुपालन में बिन्दु संख्या–1 ऐसे स्थानों पर जहाँ सकिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संकमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनेटाइजेशन निसंकमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा। कोविड–19 प्रोटोकाल के दृष्टिगत सैनीटाइजेशन निसंकमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय हो ऐसे भवनों के अध्यासियों के द्वारा वहन किया जायेगा। बिन्दु सं0–2 ऐसे भवन परिसरों का पूर्ण रूप से सैनीटाइजेशन संक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा। उपरोक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 21.07.2020 को समस्त बार एसोसियेशनस परिसरों एवं जिला न्यायालय परिसर का सैनेटाइजेशन कराने हेतु दिनांक 21.07.2020 को जिला न्यायालय परिसर बन्द किये जाने हेतु आदेश दिनांकित 20.07.2020 निर्गत किया गया।

3. बार एसोसियेशनस द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रस्ताव दिनांकित 20.07.2020, त्रिस्तरीय समिति/मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 20.07.2020 एवं दिनांक 21.07.2020 को जनपद न्यायालय, पीलीभीत को बन्द किये जाने हेतु पारित आदेश दिनांकित 20.07.2020 की छायाप्रति संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आख्या माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय

Sanjeev Shukla

(संजीव शुक्ला)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
पीलीभीत।
20.07.2020
जिला न्यायाधीश

दिनांकः 20.07.2020
संलग्नकः यथोपरि।

बार को० सम्बद्धीकरण सं. 01/2013

ख्या – 813/05-06

ला संयुक्त बार एसोसिएशन, पीलीभीत

अध्यक्ष
मऔतार रस्तोगी
एडवोकेट
मोबाइल : 9927393341

महासचिव
साबिर हुसैन अंसारी
एडवोकेट
मोबाइल : 9219135857, 6395298572

दिनांक 20/07/2020

क्रमांक / पत्रांक संख्या..........

सेवा में,

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय
पीलीभीत

महोदय,

सादर आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त बार एसो० के सदस्य श्री कुलदीप अवस्थी एड० जाँच में आज कोरोना पाजिटिव पाये गये हैं वह उक्त बार एसो० के कैम्पस में बैठते हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थना है कि बार के कैम्पस को सैनेटाईज कराने की तथा उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

(हस्ताक्षर)
राम औतार रस्तोगी (एडवोकेट)
अध्यक्ष
जिला संयुक्त बार एसोसिएशन, पीलीभीत
मो0–9927393341

प्रतिलिपि :-

1- श्रीमान जिला अधिकारी महोदय पीलीभीत

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
बार एसोसिएशन
पीलीभीत

(हस्ताक्षर) 20/7/20
Mohd. Anwar Ahmad Khan
M.A.,L.L.B. (Advocate)
Senier Vice President
Civil Bar Association Pilibhit (U.P.)
Mob.-9917612589

Serial No. | Hand | Date
383 — 20-07-2020

जिला न्यायधीश महोदय,
पीलीभीत।
महोदय,

दिनांकः– 20–07–2020

सादर! जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत के आदे"ा सं0–102/2020 दिनॉक 05–05–2020 एवं उस पर आपके पृष्ठॉकन दिनॉक 06–05–2020 जिसके द्वारा जनपद न्यायाधीश, महोदय ने माननीय न्यायालय में प्रवे"ा करने वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन थर्मल स्केनिंग चेकअप कराये जाने एवं दिनॉक 07–05–2020 को सॉय 05:00 बजे तक माननीय न्यायालय परिसर,न्यायालय कक्ष एवं बिश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ–सफाई ,सेनेटाइजशन का कार्य सम्पादित कराने तथा उक्त कार्य प्रतिदिन सम्पादित कराये जाने तथा दिनॉक 08–05–2020 से प्रत्येक दिन सॉय 04:00 बजे जनपद पीलीभीत में कोरोना के खतरे एवं स्थिति के सम्बन्ध में रिर्पोट उपलब्ध कराये जाने के आदे"ा निर्गत किये गये हैं।

जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा निर्गत उक्त आदे"ों के कम में आख्या निम्नवत आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है:–

कोरोना–19 से सम्बन्धित आख्या

माननीय न्यायालय में प्रवे"ा करने वाले व्यक्तियों के थर्मल स्केनिंग की संख्या	माननीय न्यायालय परिसर,न्यायालय कक्ष एवं बिश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ–सफाई सेनेटाइजे"ान का कार्य	जनपद पीलीभीत में अब तक कुल कितने कोविड–19 के सैम्पल हुये	कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या	कोविड–19 के सकिय केसेस	कोविड–19 के रिकवर्ड केसेस	कुल कोरोना निगेटिव की संख्या	कितने व्यक्तियों की रिपोर्ट आना शेष है।	जनपद में आये विदे"ाी यात्रियों की संख्या	विदे"ा से आये व्यक्तियों की संख्या जो ट्रेस नहीं हो सके।	अन्य राज्यों एवं प्रदे"ा के अन्य जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या,जिन्हें होम कोरेन्टाइन किया गया है	विभागीय कोरोन्टाइन की संख्या	जनपद में कुल कंटेन्मेन्ट जोन क्षेत्र की संख्या
273	Yes	14323	223	63	160	12783	1317	627	06	1078	22	32

नोट– 1– कोविड–19 महामारी के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में 32 क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया बनायें गये है।

2– श्री कुलदीप अवस्थी(वकील) बार एसोसियेशन परिसर में न्यायिक कार्यो से सम्बन्धित कार्य करते है शासनादेश संख्या 1382/2020/सी एक्स–3 दिनांक 31 मई 2020 के अनुपालन में बिन्दु संख्या 1–ऐसे स्थानो पर जहॉं सकिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संकमण के प्रसार को रोकने के उददेश्य से सैनीटाइजेश्न निसंकमित करने हेतु 24 घण्टो के लिये ततकाल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा । कोविड–19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनीटाइजेश्न निसंकमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनो के अध्यासियों के द्वारा वहन किया जायेगा। बिन्दु संख्या 2– ऐसे भवनो परिसरो को पूर्ण रूप से सैनीटाइजेश्न निसंकमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा।

शासनादेश संख्या 1324/सेक–पॉच–5–2020 दिनांक 23 जून 2020 के अनुपालन में. कन्टेनमैन्ट जोन सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या तथा टीमों का निर्धारण बिन्दु संख्या 2.1 कन्टेनमैन्ट जोन का निर्धारण । बिन्दु संख्या 2.1.1 शहरी क्षेत्र । बिन्दु संख्या 2.1.1.ए– किसी क्षेत्र में सिंगल केस होने की स्थिति में प्रत्येक धनात्मक कोविड–19 केस के लिये उस क्षेत्र को केन्द्र मानते हुये 250 मी0 रेडियस क्षेत्र /पूरे मोहल्ले को कन्टेनमैन्ट जोन बनाया जायेगा एक ही घर में एक से अधिक केस होने पर होने पर भी सिंगल केस के समान कन्टेनमैन्ट जोन निर्धारित होगा।

कृपया उक्त के कम में अपने स्तर से निर्णय लेना चाहें।

अपर पुलिस अधीक्षक
पीलीभीत।

अपर जिला अधिकारी (वि0/रा0)
पीलीभीत।
20/07/2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।

पत्रांक संख्याः– मु0चि0अ0/को0वाय–2019/दैनिक सूचना/2020–21/
तददिनांक
प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1–जिला अधिकारी महोदय, पीलीभीत ।

SEEN
I/c District Judge
PILIBHIT
20-07-2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत।

संख्या– 252 /2020, दिनांक: 20.07.2020

प्रशासनिक आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03.06.2020 एवं 1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 16.07.2020 के अनुपालन में यह सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 20.07.2020 को त्रिस्तरीय समिति, कोविड–19/मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत से इस आशय की आख्या प्राप्त हुयी कि जिला संयुक्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप अवस्थी जांच में आज कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि जिला संयुक्त बार एसोसियेशन, सेन्ट्रल बार एसोसियेशन एवं सिविल बार एसोसियेशन, पीलीभीत के द्वारा संयुक्त रूप से यह सूचित किया गया है कि संयुक्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत के सदस्य श्री कुलदीप अवस्थी एडवोकेट जांच में कोरोना पॉजिटिव पाये गये है। वह संयुक्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत के कैम्पस में बैठते हैं। अतः ऐसी स्थिति में बार एसोसियेशन को सैनेटाइजेशन एवं उचित कार्यवाही करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव के द्वारा अनुरोध किया गया है।

3. यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय समिति, कोविड–19/मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत की दिनांकित 20.07.2020 के अनुसार श्री कुलदीप अवस्थी जांच में कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। श्री कुलदीप अवस्थी (वकील) बार एसोसियेशन परिसर में न्यायिक कार्यो से सम्बन्धित कार्य करते हैं शासनादेश सं0 1382/2020 सी. एक्स–3 दिनाक 31 मई 2020 के अनुपालन में बिन्दु संख्या–1 ऐसे स्थानों पर जहॉ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनेटाइजेशन निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा। कोविड–19 प्रोटोकाल के दृष्टिगत सैनीटाइजेशन निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय हो ऐसे भवनों के अध्यासियों के द्वारा वहन किया जायेगा। बिन्दु सं0–2 ऐसे भवन परिसरों का पूर्ण रूप से सैनीटाइजेशन संक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जायेगा। शासनादेश सं0 1324/सेक–पॉच–5–2020 दिनांकित 23 जून 2020 के अनुपालन में कन्टेंनमेंट जोन सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या तथा टीमों का निर्धारण बिन्दु सं0 2.1 कन्टेंन्मेंट जोन का निर्धारण। बिन्दु सं0 2.1.1 शहरी क्षेत्र। बिन्दु सं 2.1.1ए–किसी क्षेत्र में सिंगल केस होने की स्थिति में प्रत्येक धनात्मक कोविड–19 केस के लिए उस क्षेत्र को केन्द्र मानते हुये 250 मीटर रेडियस क्षेत्र/पूरे मोहल्ले को कन्टेंनमेंट जोन बनाया जायेगा एक ही घर में एक से अधिक केस होने पर भी सिंगल केस के समान कन्टेंन्मेंट जोन निर्धारित होगा।

4. त्रिस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 20.07.2020 का अवलोकन किया। चूंकि श्री कुलदीप अवस्थी, एडवोकेट, संयुक्त बार एसोसियेशन कैम्पस में बैठते हैं एवं जनपद न्यायालय में व्यवसायरत हैं। अतः ऐसी स्थिति में जनपद न्यायालय, पीलीभीत को 24 घंटे में सेनेटाइजेशन कराया जाना उचित होगा एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्रांकों के अनुपालन में जनपद न्यायालय, पीलीभीत को एक कार्य दिवस दिनांक 21.07.2020 (24 घन्टे) के लिए सेनेटाइजेशन कराये जाने हेतु बन्द किया जाना समुचित होगा।

5. तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त परिपत्रों एवं कोविड–19 के संक्रमण के आसन्न संकट को देखते हुये एक दिवस दिनांक 21.07.2020 के लिए जनपद न्यायालय, पीलीभीत बन्द किया जाता है। बाह्य न्यायालय, बीसलपुर यथावत क्रियाशील रहेगा।

6. दिनांक 22.07.2020 को जनपद न्यायालय, पीलीभीत यथावत् खुलेगा।

7. समस्त सम्बन्धित न्यायालय यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 21.07.2020 को नियत वादों में सामान्य तिथि प्रदान की जाये। अर्जेन्ट प्रकृति से सम्बन्धित वादों में न्यायालय द्वारा विवेकानुसार तिथि नियत की जा सकती है।

8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त बन्दी के दिवस में रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिवसों की भांति कराना सुनिश्चित करें।

9. नोडल अधिकारी, कोविड–19, जिला न्यायालय, पीलीभीत एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश का दैनिक समाचार पत्रों में निशुःल्क प्रकाशन कराना एवं अन्य प्रकार से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

10. प्रभारी अधिकारी, नजारत, जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह तीनों बार एसोसियेशन एवं सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का सैनेटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 22.07.2020 को न्यायालय खोले जाने से पूर्व उपरोक्त आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

11. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर्स), जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय की बेबसाइड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये।

दिनांक: 20.07.2020

(संजीव शुक्ला)
प्रभारी जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत।
20.07.2020

पत्रांक /प्रशा0–2020 दिनांकित : जुलाई 20, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, पीलीभीत,
2. पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत
3. जेल अधीक्षक, पीलीभीत
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत
6. समस्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत

दिनांक: 20.07.2020

(संजीव शुक्ला)
प्रभारी जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत।
20.07.2020